FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

शेराराम बनाम उदाराम वगैरा

किस्म मुकदमा आर.आर. 111, 128 RLR Act नं. 367/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.12.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भारद्वाज ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/01/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु 17.12.2019	
13/01/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 14/01/2020 को पेश हो।	
14/01/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 Pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उसके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:38:51 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई
के अधिवक्ता ने निवेदन किया गया कि प्रार्थी
विप्रार्थीगण के मध्य खेत की सीमाओं को लेकर
हर समय विवाद की स्थिति बनी रहती है अतः
प्रार्थी द्वारा अपने खेत की पक्की नेवमवंदी कराने
हेतु यह नेवमवंदी आवेदन पेश किया गया है
इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेवमवंदी आवेदन को
स्वीकार किया जाकर नेवमवंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को
स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर
नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि
आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू०अ०
निरीक्षक से प्रार्थी के खातदारी खेतों की पक्की नेव
मवंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर
करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली हो। आदेश अलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल
दफतर हो।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:38:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 1050 दिनांकः– 14/1/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. शेराराम पुत्र केशराराम वगैरा जाति जाट निवासी उदरामोणियों की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. उदाराम पुत्र वीरमाराम वगैरा निवासी उदरामोणियों की ढाणी तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 367 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरामोणियों की ढाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 711 / 685 रकबा 55.11 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 1051-55 दिनांकः– 14/1/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री शेराराम
4. विप्रार्थीगण श्री उदाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.30 11:38:51 IST
Reason: SelfAttested